5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 COURT FEE भारत TWENTY RUPEES बीस रुपये

50

न्यायालय राजास्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

रिव्यू/3405/II/15

प्रकरण क.– ~~/पी.बी.आर~~.2015 रिव्यू

1. बाबू सिंह(अब मृतक) पुत्र महाराजसिंह मिर्धा

वारिस

अ. श्रीमती कोकिला पत्नि स्व. बाबूसिंह

ब. सुखलाल स– बेदराम द– मायाराम

पुत्रगण स्व. बाबू सिंह निवासी ग्राम रामपुरा

तहसील – गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

इ– श्रीमती मीरा पुत्री स्व. बाबूसिंह पत्नि

निहाल सिंह निवासी ग्राम अजयगढ़ तहसील

डबरा जिला ग्वालियर

2. अजमेर सिंह पुत्र महाराज सिंह मिर्धा

निवासी ग्राम रामपुरा तहसील गोहद, भिण्ड

............आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 20/10/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

20.10.15

विरूद्ध

1. जसवन्त सिंह उर्फ जसरथ सिंह पुत्र

चन्दनसिंह मिर्धा ग्राम रामपुरा तहसील गोहद

जिला भिण्ड म.प्र.

2. भवरसिंह (अब मृतक) पुत्र बद्रीसिंह मिर्धा

वारिस

बादशाह सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह निवासी

माधौगढ़ तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

.........अनावेदकगण

रिव्यु पिटीशन विरूद्ध आदेश माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर निगरानी क्र. 879–दो/2004–सदस्य माननीय एम.के.सिंह सदस्य ओदश दिनांक 08/10/2015

माननीय महोदय,

श्रीमान् रिव्यु पिटीशन आवेदकगण निम्न कारणों द्वारा प्रस्तुत है।

1. यहकि, आवेदकगण की समस्त बहस प्रकरण में देरी से आदेश पारित होने के कारण तथा उसके द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में वर्णित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3405–एक/15 जिला –भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के
3.8.16	आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 879–दो/04 में पारित आदेश दिनांक 08.10.15 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3405–एक/15 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 879–दो/04 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 08.10.15 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 3405–दो/15 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	

//2//रिव्यु प्र0क0 3405–दो/15

आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य